

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-4  
अमरोहा।

सेवा में,

श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल  
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय  
अमरोहा।

विषय:-

**कार क्य किये जाने के संबंध में सूचना।**

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा 22 सितम्बर 2023 को टोयटा इनोवा रजिस्ट्रेशन सं०-यू०पी०३२एन.वी.-९०५५ हाईकास वी.एक्स 75 टोयटा एजेन्सी अलीगढ से कुल धनराशि मुब०-32,40,000/-रु० में क्य किया गया है जिसके संबंध में मुब०-20,00,000/-रु० का जोया ब्रांच एस.बी.आई. से लोन लिया गया है तथा लोन लिये जाने की प्रति संलग्न की जा रही है एवं शेष धनराशि मुब०-10,00,000/-रु० चैक सं०-943969 तथा मुब०-2,40,000/-रु० चैक सं०-943970 के माध्यम से अपने एस.बी.आई. खाता सं०-10961708685 से दिये हैं।

अतः आपको उक्त गाड़ी क्य किये जाने की कोटेशन/इन्वॉइस, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, बीमा, एस.बी.आई. द्वारा पैसा स्थानान्तरित किये जाने व लोन लिये जाने के कागजात एवं पासबुक की प्रति संलग्न करके सूचनार्थ प्रेषित की जा रही हैं।

सादर

दिनांक:-26.10.2023

भवदीय

(सूर्य प्रकाश सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-4  
अमरोहा।

आई.डी.नं०-यू.पी.-6272

**संलग्नक**

- 1-कोटेशन/इन्वॉइस की प्रति।
- 2-रजिस्ट्रेशन की प्रति।
- 3-बीमा की प्रति।
- 4-एस.बी.आई. द्वारा पैसा स्थानान्तरित किये जाने की प्रति।
- 5-लोन लिये जाने की प्रति।
- 6-पासबुक की प्रति।